MPPSC UPSC
MPSI IAS IPS

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची जारी की गई

पृष्ठभूमि :- असम ने 31 अगस्त को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) की अंतिम सूची जारी की गई। इस सूची में 3.11 करोड़ लोगों के नाम शामिल हैं। 19.06 लाख लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं किये गये हैं। इनमें वे लोग भी हैं, जिन्होंने नाम सूची में शामिल करने के लिए अपने दावे प्रस्तुत नहीं किये थे। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक NRC की अंतिम सूची जारी करने की अंतिम समय सीमा तय की थी।

असम की राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के बारे में :-

- असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने का मकसद असम के वैध निवासियों की पहचान करना है और अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है।
- असम के लोगों के लिए NRC का बड़ा महत्व है क्योंकि राज्य में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लेने और उन्हे वापस भेजने के लिए छह साल तक (1979 - 1985) आंदोलन चला था।
- असम में पहली बार 1951 में NRC की सूची तैयार की गयी थी उस वक्त राज्य में 80 लाख लोग रह रहे थे।
- राज्य में वैध और प्रमाणिक नागरिकों की पहचान के लिए NRC को संशोधित करने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2013 में शुरू हुई थी। इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा किया गया।
- NRC को असम समझौते के अनुसार निर्धारित 24 मार्च 1971 की कट - ऑफ तिथि के अनुसार तैयार किया गया है। इसकी अपडेशन प्रक्रिया नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत की गई।
- NRC आवेदन फॉर्म ग्रहण करने की प्रक्रिया मई 2015 से शुरू हुई थी और 31 अगस्त 2019 तक जारी रही।
- अपडेट के बाद पहला NRC मसौदा 31 दिसम्बर, 2017 को जारी किया गया था जिसमें 3 करोड़ 2.9 लाख लोगों में से 1 करोड़ 9 लाख लोगों के नाम थे।
- 30 जुलाई, 2018 को दूसरा मसौदा जारी किया गया जिसमें 2 करोड़ 89 लाख 83 हजार 6 सौ 77 नागरिकों के नाम शामिल थे जबकि लगभग 40 लाख 7 हजार लोगों के नाम सूची में नहीं थे।

NRC सूची में शामिल नहीं किये गये लोगों के लिए विकल्प :-

- सरकार ने NRC की अंतिम सूची से बाहर रह गये लोगों को विदेशियों के लिए स्थापित ट्राइब्यूनलों (अधिकरण) में अपील और उच्चतर न्यायालयों में आवेदन करने का अवसर दिया है।
- पहले अपील करने की समयावधि 60 दिन की थी लेकिन लोगों की सुविधा के लिए इस अवधि को बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। जब तक अपील की अवधि है तब तक किसी भी व्यक्ति को विदेशी नहीं माना जायेगा।
- राज्यसरकार ने उन लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के आवश्यक प्रबंध किए हैं जिसके नाम NRC में नहीं है।

राष्ट्रपति ने पाँच राज्यों में नये राज्यपालों की नियुक्ति को मंजूरी दी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 सितंबर को 5 राज्यों में नये राज्यपालों की नियुक्ति को मंजूरी दी। ये राज्य हैं- हिमाचलप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलगांना और केरल।

01) हिमाचलप्रदेश :- भाजपा नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। वे कलराज मिश्र का स्थान लेंगे।

02) राजस्थान :- कलराज मिश्र को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे कल्याण सिंह का स्थान लेंगे।

03) महाराष्ट्र :- उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगतसिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कोशियार विद्यासागर राव का स्थान लेंगे।

04) तेलगांना :- तमिलनाडु की पूर्वभाजपा प्रमुख डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन तेलगांना के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालेंगी। वे ईएसएल नरसिम्हन की जगह लेंगे।

Online Test Series
www.kautilyaacademy.in
CONTACT - +91 9111010991, 9425068121, 8718990943
Payal Plaza, Bhawarkuan Rd, Opp Bhawarkuan Police Station, Professor's Colony, Vishnu Puri Colony, Indore, Madhya Pradesh 452001

मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019

पृष्ठभूमि:- मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019 के संशोधित प्रावधान 1 सितंबर से लागू हो गया। इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड बढ़ाया गया है। इस विधेयक को हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पारित किया था।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 के बारे में :- लाल बत्ती का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रूपये कर दिया गया है। सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाने पर सौ रुपये की जगह एक हजार रुपये भरने होंगे। लापरवाही से तेज गाड़ी चलाने पर एक हजार की जगह पांच हजार रुपये का दंड भरना होगा। शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये भरने होंगे। बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। बीमा की प्रति के बिना वाहन चलाने पर दो हजार रुपये भरने होंगे। किशोर के गाड़ी चलाने पर उसके अभिभावक और वाहन के मालिक को दोषी माना जाएगा। इसके लिए 25 हजार रुपये आर्थिक दंड के साथ तीन वर्ष का कारावास की सजा होगी। हेलमेट के बगैर दोपहिया वाहन चलाने पर पहली बार पांच सौ रुपये और दोबारा ऐसा करने पर डेढ़ हजार रुपये का आर्थिक दंड देना होगा और दुपहिया वाहन पर तीन सवारी ले जाने पर सौ रुपये की जगह पांच सौ रुपये भरने होंगे।

स्विटजरलैंड के बैंको में भारतीयों के खातों की जानकारी भारतीय अधिकारियों से साँझा की जायेगी

पृष्ठभूमि:- भारत और स्विटजरलैंड के बीच हुए समझौते के अनुसार स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों के वित्तीय खातों की जानकारी 1 सितंबर 2019 से कर अधिकारियों को उपलब्ध हो जायेगी। काले धन के खिलाफ सरकार की लड़ाई में यह महत्वपूर्ण कदम होगा। और इससे स्विस बैंक की गोपनीयता के युग का अंत हो जायेगा। भारत को स्विट्जरलैंड में भारतीय नागरिकों के सभी वित्तीय खातों के संदर्भ में वर्ष 2018 की जानकारी प्राप्त होगी।

Online Test Series
www.kautilyaacademy.in
CONTACT - +91 9111010991, 9425068121, 8718990943
Payal Plaza, Bhawarkuan Rd, Opp Bhawarkuan Police Station,
Professor's Colony, Vishnu Puri Colony, Indore, Madhya Pradesh 452001

भारत और स्विट्जरलैंड के कर अधिकारियों के बीच बैठक :- भारत और स्विट्जरलैंड के कर अधिकारियों के बीच 29-30 अगस्त को नई दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों ने विशिष्ट मामलों में भारत के अनुरोध पर कर संबंधी सूचना साझा करने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया। स्विट्जरलैंड के अंतरराष्ट्रीय वित्त विभाग में कर प्रभाग के उपाध्यक्ष निकोला मारियो लूश्या के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने राजस्व सचिव एबी पांडेय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष पीसी मोदी ने इस बैठक में हिस्सा लिया CBDT आयकर विभाग के लिए नीति निर्माण करता है।

KAUTILYA ACADEMY
INDORE

By- Pankaj Bodiya

Online Test Series
www.kautilyaacademy.in
CONTACT - +91 9111010991, 9425068121, 8718990943
Payal Plaza, Bhawarkuan Rd, Opp Bhawarkuan Police Station,
Professor's Colony, Vishnu Puri Colony, Indore, Madhya Pradesh 452001